न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 23/2023

1 छोटूराम पुत्र जैसाराम जाति बलाई निवासी सबलपुरा जिला सीकर जरिये मुख्तयार विनोद कुमार पुत्र छोटूराम जाति बलाई निवासी सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बिमला देवी पत्नी नारायणलाल।
2 लक्ष्मी देवी पत्नी बनवारीलाल समस्त जाति बलाई निवासीगण सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
3 राजेन्द्र कुमार पुत्र नारायणलाल जाति बलाई निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर।
4 गिरधारी पुत्र दानाराम।
5 गोपीराम पुत्र दानाराम।
6 बुगली पत्नी दानाराम।
7 पेमाराम पुत्र भानाराम।
8 बजरंग पुत्र भानाराम।
9 श्योजी पुत्र भानाराम।
10 हरदेवाराम पुत्र भानाराम।
11 ज्यानकी देवी पत्नी सुरजाराम।
12 सुभाष पुत्र सुरजाराम।
13 पप्पू प्रसाद पुत्र सुरजाराम।
14 सुमन पुत्री सुरजाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 अनिता पुत्री सुरजाराम।
16 घड़सीराम पुत्र जैसाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
17 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर रोड़ सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
18 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
19 कॉपरेशन बैंक सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
20 भूमिधारी तहसीलदार सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
21 पटवारी हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2022
बउनवानी दावा संख्या 82/2022 घड़सीराम बनाम
बिमला देवी न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर

उपस्थिति :

1. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवरत्न सोनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 82/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण धोद जिला सीकर में अवस्थित खसरा नम्बर 1184/572 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1187/411 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.8600 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील धोद नई तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें वादी/अपीलांट व प्रतिवादीगण का हिस्सा चला आ रहा है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 की खरीदशुद्वा खातेदारी चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि राजस्व रिकार्ड में हिस्सेदारी कम ज्यादा होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पुश्तैनी हिस्सेदारी में सहवन से फेरबदल होने के कारण भूमि के राजस्व रिकार्ड का भी दुरूस्त करवाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 खरीदशुद्वा मालिक खातेदार स्वामी है इस कारण उनके हिस्से में कोई भी फेरबदल नहीं किया जायेगा तथा जिसके हिस्से पर ऋण होगा वह ऋण उसके हिस्से पर ही यथावत रहेगा, रिकार्ड दुरूस्त होने पर इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। खरीदशुद्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा कायम रहेगा। डिक्री वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व उद्घोषणा की जाकर फरमायी जावें कि वाद की मद संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमियों का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मध्य रिकार्ड दुरूस्ती बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन किया जाकर वादीगण को उनके हिस्से मे आने वाली कृषि भूमि का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें, राजस्व रिकार्ड में पृथक से खसरा नम्बर वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में पृथक से खसरा नम्बर वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें, इस प्रकार का दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर उसके बाद राजीनामा के आधार पर यह दावा का निर्णय कर यह निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावे में कोई सजरा खान दान पेश नहीं किया गया केवल मात्र सुरजाराम का सजरा खान दान पेश किया गया, दावे की भूमि पुश्तैनी इस सम्बंध में सजरा खानदान पेश नहीं किया गया है और गलत आधार पर पुश्तैनी जमीन बताई जाकर रेस्पोडेंट ने अपने नाम जमीन करवा ली गई है। दावे में उल्लेखित खसरा नम्बरान में किस पक्षकार का कितना हिस्सा है, कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही राजीनामा में किसका किस खसरा में कितना हिस्सा दिया जाना है, कोई उल्लेख नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 16 घड़सीराम पुत्र जैसाराम को खसरा नम्बर 385 व 391 दिया गया जिसमें दोनों का बराबर बराबर हिस्सा दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 385 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 16 घड़सीराम का कोई हिस्सा नहीं है तथा न ही कभी रहा है, यह खसरा नम्बर 385 के खातेदार 4 लगायत 10 ने साजिस के तहत वादी को धोखे में रखकर ऐसा राजीनामा पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पहले तहसीलदार व पटवारी की कोई रिपोर्ट नहीं ली गई जबकि कानूनन बंटवारे के दावा में रेवेन्यू बोर्ड के निर्देशानुसार तहसीलदार से मौका की रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है लेकिन विचारण न्यायालय ने ऐसा कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा साज व गुमराह कर अपीलांट को गलत तथ्य राजीनामा में लिखे होने के बारे में नहीं बताया तथा कहा कि मौके पर जिस तरह से हमने बंटवारा कर रखा है उसी हिसाब से तथ्य लिखे है तथा अपीलांट के हक, हिस्से की बेशकीमती जमीन अपने बंटवारे में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्राप्त कर ली तथा अपीलांट को दूसरी जमीन बंटवारे में दे दी तथा उसी षड़यंत्र के तहत रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 15 ने एक विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2022 भी अशोक कुमार के नाम से पंजीकृत करवा दी है जो अपीलांट के हितों के विपरित शून्य, प्रभावहीन शुरू से ही है। अपीलांट विदेश में मजदूरी करता है वह राजीनामे के बाद विदेश चला गया। दिनांक 27.12.2022 को हमारे कब्जेशुद्वा जमीन पर रेस्पोडेंट गये और कहा कि यह जमीन हमारी है तब मेरे पुत्र ने मेरे को फोन किया और बताया गया, तब मेरा पुत्र कोर्ट में गया और इस प्रकरण की नकल दिनांक 02.01.2023 को प्राप्त की तब सही रूप से इस डिक्री का ज्ञान हुआ और मेरे पुत्र विनोद ने सभी बाते बताई तब मैंने मेरे पुत्र के नाम से विदेश से मुख्तयारनामा दिनांक 21.01.2023 बनाकर भेजा गया, यह मुख्तयारनामा दिनांक 31.01.2023 को मुझ मुख्तयार को प्राप्त हुआ, इस प्रकार यह अपील मियाद अन्दर मियाद सादर पेश है। अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी की सहमती एवं राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर वाद वादी डिक्री किया गया है। राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया गया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी की सहमती एवं राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर वाद वादी डिक्री किया गया है। राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री की अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर